

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-32/2017/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- नर्मदा पार्वती लिंक उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।

संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 142/59.03/27/न.नि.मं./17 दिनांक 13/12/2017.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 59 वीं बैठक दिनांक 12.12.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा सीहोर, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों में 2.00 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नर्मदा पार्वती लिंक उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना (चार चरण) के निर्माण कार्य हेतु संलग्न परिशिष्ट-"1" में उल्लेखित मर्दों के लिये यूएसआर 2017 पर राशि ₹ 7547.00 करोड़ (₹ सात हजार पांच सौ सैंतालिस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

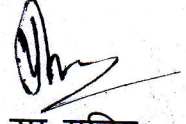
पृ0क्रमांक एफ 31-32/2017/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. महालेखाकार भोपाल/ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।

निरंतर..2.

8. मुख्य अभियन्ता, निचली नर्मदा परियोजनाएं, इंदौर/ इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद ।
9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
11. आर्डर बुक ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग